

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.1 (155)वन/2022

जयपुर, दिनांक :-

सहायक महानिरीक्षक,
(एफ.सी.डिवीजन), भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोर बाघ रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:-Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA
MINING LLP For Opencast Marble Mining in Revenue
Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District – Pratapgarh,
Rajasthan.

संदर्भ:- ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/MiN/142599/2021).

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में निवेदन है कि
74.2490 है० वन भूमि के डायवर्जन के प्रस्ताव को इस कार्यालय की अभिशंषा मय
पार्ट-v की पूर्ति उपरान्त ऑनलाईन अग्रेषित कर दिया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव, हॉर्ड कॉपी में राज्य सरकार की मय अभिशंषा के साथ
आवश्यक स्वीकृति जारी करने हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(वेंकटेश शर्मा)
शासन सचिव

Signature Not Verified

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी
जयपुर, दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in
Commanpuc/secy. Forest/Ajay--
RajKaj Ref No. : 3032294

Digitally signed by Venkatesh Sharma
Designation: Additional Principal
Chief Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2023.01.11 15:15:24 IST
Reason: Approved



F.No. 1(155)forest/2022

Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan .

FP/RJ/MIN /142599/2021

PART - V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an under Secretary.)

Recommendation of the State Government:-

1. मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित अनुसार वृक्षों को समूल उखाड़कर अन्य उपयुक्त स्थान पर वन विभाग के निर्देशन में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर लगाए जाए।
2. प्रस्तावित क्षेत्र में खनन कार्य के दौरान आवश्यकता अनुसार ही न्यूनतम वृक्षों को हटाया जावे एवं वृक्षों को हटाने का कार्य वन विभाग के निर्देशन में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर संपादित किया जावें।
3. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की सीमा पर प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर 4 फीट ऊंची पक्की दीवार बनाकर शेष वन क्षेत्र को सुरक्षित किया जावें।
4. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र पश्चिम दिशा में माही नदी से लग्ना हुआ है। खनन कार्य से माही नदी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से आवंटित लीज क्षेत्र में माही नदी की सीमा से 100 मीटर की पट्टी कोई खनन कार्य नहीं किया जावे और इस क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जावें।
5. अत्याधिक ढलान युक्त क्षेत्र में विशेषकर नदी की ओर बहने वाले क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जावें।

Recommended for acceptance and approval subject to fulfillment of above mentioned conditions

(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.)

Name : **Venkatesh Sharma IFS**
Designation: *Secretary, Forest , GoR*
Official Seal

Date :- 11 January 2023

Place : Jaipur

Signature Not Verified

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी जयपुर, दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in
Commanpuc/secy. Forest/Ajay--

RajKaj Ref No. : 3032291

Digitally signed by Venkatesh Sharma
Designation: Additional Principal
Chief Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2023.01.11 15:14:16 IST
Reason: Approved

